सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान वन नीति 2023

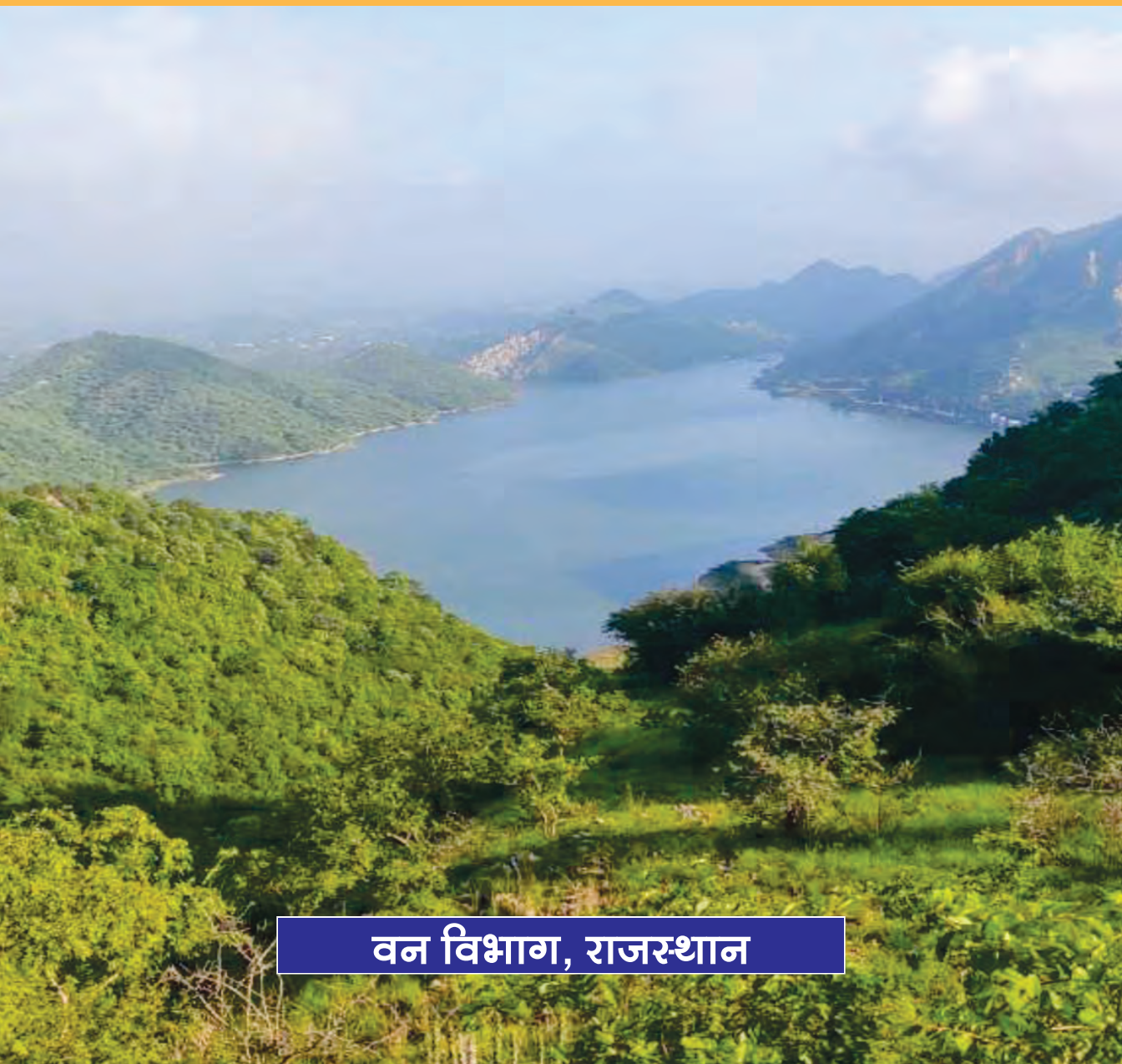

वन विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार
वन विभाग

राजस्थान वन नीति
2023

वन विभाग, राजस्थान
www.forest.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही वनस्पतियों और जीव–जन्तुओं, जैव विविधताओं से समृद्ध है। इस दृष्टि से नई वन नीति राज्य की समृद्धि में सहायक है।

प्रदेश में थार रेगिस्तान की शुष्क और अरावली पर्वत श्रृंखला की अर्द्ध–शुष्क जलवायु के कारण विहंगम जैव विविधता के आश्रय स्थल हैं जो अधिकांशतः राज्य में स्थानिक रूप से विद्यमान हैं। प्रदेश में 20 प्रतिशत के विरूद्ध मात्र 7.42 प्रतिशत वानस्पतिक आवरण विद्यमान है। ऐसे में वन और वृक्ष आवरण का संरक्षण और संवर्द्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम के लिए सभी सम्भव प्रयास जरूरी हैं। मानव जाति के लिए वनों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। हाल ही में कोविड–19 जैसी आपदा ने भी वैश्विक स्तर पर मानव समाज के लिए एक संदेश दिया है कि वनों, स्वच्छ प्राणवायु और ऑक्सीजन के मध्य परस्पर संतुलन रखकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।

इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए राजस्थान राज्य वन नीति, 2023 आवश्यक है। इससे वनों और वृक्ष आवरण को संरक्षित–संवर्द्धित कर राज्य की बहुमूल्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु समुचित नीति निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा इस क्षेत्र में कारगर आधार बनेगी।

राजस्थान सरकार के इस उद्देश्य से नवीन राजस्थान राज्य वन नीति, 2023 बनाई है जिसमें राज्य के वनों और जैव विविधता संरक्षण हेतु अत्यावश्यक सिद्धांत और दिशा–निर्देश कार्य क्षेत्र में कुशलता बढ़ाएंगें।

मै विश्वास करता हूं कि नई राजस्थान राज्य वन नीति, 2023 सभी संबंधित हितधारकों और संरक्षणविदों को वनों और जैव विविधता संवर्द्धन एवं सरंक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और स्थानीय लोगों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

हेमाराम चौधरी
माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण
राजस्थान सरकार

संदेश

राजस्थान में वनों के प्रति सम्मान की एक लंबी परंपरा रही है। इतिहास दृष्टांतों से भरा पड़ा है जो वनों और वन्य जीवों के साथ समुदायों के मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी का बलिदान, कदम्ब कुंज और भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ इसका जुड़ाव और इस तरह के और भी कई चित्रण, प्रकृति और उसके तत्वों के लिए एक सार्वभौमिक सम्मान के सूचक हैं।

राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत भू–भाग वन विभाग द्वारा प्रशासित है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी रेगिस्तानी, आदिवासी और दूर–दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, जिन्हें राज्य के मूल्यवान वन और वन्यजीव संसाधनों की देखभाग करने का काम सौंपा गया है। साथ ही, दिन–प्रतिदिन के आधार पर उन्हें विकास गतिविधियों को अंजाम देना पड़ता है और आपराधिक तत्वों से जमीन को बचाना पड़ता है, स्थानीय लोगों से प्राप्त समर्थन पर ही उनकी सफलता काफी हद तक निर्भर करती है।

पूर्ववर्ती वन नीति को मेरे विभाग ने विभिन्न स्तर पर परामर्श व समीक्षा कर नवीन वन नीति 2023 के रूप में परीणित किया है। राज्य वन नीति 2023 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में वन और वन्यजीव प्रबंधन के सिद्धांतों और रणनीति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह दस्तावेज वन एवं वन्यजीव प्रबंधन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर देता है और आने वाले दिनों में प्राकृतिक वनों, वृक्षारोपण और वन्य जीवों के सतत प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करता है।

मैं इस अवसर पर श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग और श्री मुनीश कुमार गर्ग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) और विभाग के सभी टीम सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने भविष्य के लिए प्रमाण–आधारित दस्तावेज को बनाने पर काम किया है।

(हेमाराम चौधरी)

सत्यमेव जयते

शिखर अग्रवाल
आईएएस
अतिरिक्त मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
राजस्थान सरकार

संदेश

राज्य वननीति 2010 में राज्य में वनस्पति आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। राज्य वनावरण में 2017 से 2021 तक लगभग 82 वर्ग किमी. ही वृद्धि हुई है। अतः इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अब और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, सतत् वनप्रबंध के विज़न को सतत् विकास के लक्ष्यों से पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन व अनुकूलन और शहरी वानिकी के माध्यम से एकीकृत करने की आवश्कता को और अधिक महसूस किया जा रहा है।

इस परिपेक्ष्य में नई राज्य वन नीति को तैयार कर जारी करना अत्यंत सामयिक है। यह आशा की जाती है कि नई नीति, वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवात्मक ज्ञान को पोषित करेगी जिससे पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सर्वांगीण विकास होगा और वर्ष 2040 तक राज्य में वनस्पति आवरण को 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी हित धारक एक साथ काम करते हुए राज्य वन नीति 2023 को अक्षरशः एवं भावार्थात्मक रूप में लागू करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

शिखर

(शिखर अग्रवाल)

सत्यमेव जयते

मुनीश कुमार गर्ग
आईएफएस
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
वन विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्राक्कथन

राजस्थान देश का सबसे बडा राज्य है, जो कि देश के कुल भू–भाग के 10.40 प्रतिशत में स्थित है। राज्य में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60 प्रतिशत भाग में विद्यमान है। कुल वन तथा वृक्षावरण मिलकर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.42 प्रतिशत भाग में स्थित है। राज्य में वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों पर कई तरह के जैविक एवं अजैविक दबाव हैं, जो वनों के स्वास्थ्य तथा अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। परंतु यह सराहनीय है कि वन क्षेत्रों द्वारा जन समुदायों के उपयोग हेतु ईंधन, चारे एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के दबाव के पश्चात भी राज्य में वर्ष 1995 के उपरांत वनावरण की शुद्ध हानि नहीं हुई है।

वर्तमान में कई महत्वपूर्ण योजनाएं तथा परियोजनाएं विभाग में लागू हैं, जो राज्य सरकार तथा बाह्य–राज्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित हैं एवं जिनका उद्देश्य राज्य में हरित आवरण में वृद्धि करना है। इसी जैव–भौगोलिक परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नवीन वन नीति 2023 प्रतिपादित की गई है। नवीन नीति का उद्देश्य वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में आगामी दो दशकों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है। नवीन वन नीति 2023 के विज़न तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा, संकलन, पारिस्थितिकी पुनरूद्धार तथा जन–भागीदारी के सिद्धातों के आधार पर सफलता प्राप्त की जाएगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में वृहद स्तर पर चल रहे वनों के पुनरूद्धार को नवीन राजस्थान वन नीति 2023 से संबल मिलेगा एवं जनसामान्य तथा वैश्विक कल्याण की दिशा में राज्य आगे बढ़ेगा।

(मुनीश कुमार गर्ग)

राजस्थान वन नीति 2023

1. प्रस्तावना

1.1 मानव समाज के कल्याण हेतु वन सबसे मूल्यवान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वन अपने पारिस्थितिक क्रियाकलापों के माध्यम से न केवल जलवायु और जल संसाधनों का विनियमन करते हैं, अपितु वनस्पति व प्राणी जगत के आश्रयस्थल के रूप में सेवा देकर इस धरती पर जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वनों को उनके आर्थिक, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे पानी, औषधीय भंडार के स्रोत, मृदा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, जैव विविधता संरक्षण, कार्बन प्रच्छादन, मनोरंजन आदि के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

1.2 राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का उद्देश्य यथोचित समयावधि में राज्य में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

1.3 वर्तमान परिपेक्ष मे नवीन चुनौतियों और संभावनाओं के फलस्वरूप राज्य वन नीति 2010 को एक नई वन नीति से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। परिणामतः राजस्थान वन नीति 2023 का प्रादुर्भाव हुआ।

2. राजस्थान के वनों और वन्यजीवों की रूप रेखा

2.1 देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर फैली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा राज्य को व्यापक रूप से दो असमान हिस्सों में विभाजित किया गया है। अरावली के पश्चिम में स्थित राज्य का दो तिहाई हिस्सा मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध–शुष्क है और भारतीय थार मरूस्थल का एक हिस्सा है, जिसका 61 प्रतिशत भू–भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व का क्षेत्र और दक्षिण–पश्चिमी भाग कृषि जलवायु परिस्थितियों की दृष्टि से बेहतर है और राजस्थान के विकसित जंगलों का आश्रय है। राज्य के पूर्व और दक्षिण–पूर्वी भाग में विंध्य की उपस्थिति, नदियों और नालों से संतृप्त वनस्पति और वन्य जीवन से सुसंपन्न, राज्य की पारिस्थितिकी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों के रेगिस्तान और घास के मैदान। इसलिए, राजस्थान में वनों और वानिकी को वनस्पति आवरण या वृक्ष घनत्व के संदर्भ में नहीं बल्कि पारिस्थितिक

इकाइयों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संदर्भ में समझना होगा।

2.2 राजस्थान में वन दो प्रकार के समूहों से संबंधित हैं–उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिन्हें आगे 20 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख वन प्रकार उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन (40.07 प्रतिशत), एनोगिसस पेंडुला वन (15.21 प्रतिशत), शुष्क पर्णपाती स्क्रब(10.96 प्रतिशत), मरूस्थलीय ड्यून स्क्रब (6.62 प्रतिशत) और मरूथस्लीय कांटेदार वन (6.17 प्रतिशत) हैं।

2.3 राज्य में कुल वन क्षेत्र (अभिलिखित वन क्षेत्र) 32,869.69 वर्ग किमी. (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत) है, जिसमें से 12,176.28 वर्ग किमी. आरक्षित वन है, 18,588.39 वर्ग किमी. संरक्षित वन है, और 2,105.3 वर्ग किमी. अवर्गीकृत वन है। हालाँकि, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (ISFR, 2021) के अनुसार वनस्पति आवरण के मामले में वन आवरण 16,654.96 वर्ग किमी. जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87 प्रतिशत है।

2.4 देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान, यत्र तत्र विद्यमान 1 हेक्टेयर से कम आकार के पैच में पाये जाने वाले पेड़ों के मामले में जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 'वृक्षावरण' कहा जाता है, बेहतर स्थिति में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य इस श्रेणी में 8733 वर्ग किमी क्षेत्र के साथ दूसरे स्थान पर है। राज्य में 12,828 वर्ग किमी. के क्षेत्र को बाह्य वन वृक्ष (टीओएफ) के विस्तार के रूप में अनुमानित किया गया है, जो अभिलिखित वन क्षेत्र (4095 वर्ग किमी.) और वृक्षावरण (8733 वर्ग किमी.) का योग है।

2.5 राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.92 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है, जिसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य और 22 संरक्षण रिजर्व शामिल हैं। राज्य में 4 टाइगर रिज़र्व (रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी) और 2 रामसर साइट (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील) भी हैं। राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में कुल मिलाकर 13418.11 वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है।

2.6 राज्य के स्थानीय समुदायों में वनों एवं वन्यजीवों के प्रति संरक्षण लोकाचार भली भाँति स्थापित है, जहां लोग अपने स्तर पर वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और पोषण करते हैं। राज्य भर में, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क से बाहर हैं,

लेकिन समुदायों की मजबूत भागीदारी के कारण वन्य जीव और जैव विविधता के साथ बेहद समृद्ध और जीवंत हैं।

2.7 भारतीय वन सर्वेक्षण, 2019 द्वारा किए गए आंकलन में राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर 56,341 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 3826 आर्द्रभूमि की रिपोर्ट है। इसमें 284 प्राकृतिक स्थानीय आर्द्रभूमि शामिल हैं, जिसमें 21,519 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, 28,064 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 1275 स्थनीय मानव–निर्मित आर्द्रभूमि शामिल हैं। ये आर्द्रभूमियाँ राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र का 1.70 प्रतिशत हैं, और इन आर्द्रभूमियों सुधार के लिए वनों के उचित वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं।

2.8 वनों के बाहर वृक्षों का ग्रोइंग स्टॉक लगभग 90.63 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो अभिलिखित वन क्षेत्र से अधिक है एवं जो 26.56 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

2.9 राज्य में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन टन (CO_2 समतुल्य का 406.16 मिलियन टन) है जो देश के कुल वन कार्बन का 1.54 प्रतिशत है। मृदा आर्गनिक कार्बन इस कार्बन स्टॉक का बड़ा हिस्सा है जो कि लगभग 70 मिलियन टन है तथा यह इंगित करता है कि मिट्टी का संरक्षण और सुधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

2.10 राजस्थान में घास के मैदानों के अंतर्गत 9829 वर्ग किमी. क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.9 प्रतिशत है। इन घास के मैदानों में वनस्पति व वन्यजीवों की 46 कुलों तथा 188 वंशों से सम्बंधित 375 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

2.11 जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या 68.55 मिलियन है जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। बीसवीं पशुधन जनगणना 2019 में राज्य में कुल पशुधन संख्या 56.80 मिलियन बताई गई है, जो देश में पशुधन संख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे अधिक है। जिसमें से कुल पशुधन का 54.94 मिलियन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें 13.9 मिलियन मवेशी, 13.7 मिलियन भैंस, 7.9 मिलियन भेड़, 2.13 मिलियन ऊंट और 20.8 मिलियन बकरियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पशुधन जंगलों और वन आधारित संसाधनों से अपने चारे की आपूर्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि राज्य में स्टाल फीडिंग का अभ्यास अधिकांशतः कम किया जाता है।

2.12 भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 अनुसार जंगल के किनारे के गांवों में लोगों की वनों पर निर्भरता ईंधन (8.5 मिलियन टन), चारा (112.7 मिलियन टन), बांस (3698 टन) और छोटी इमारती लकड़ी (82.4

हजार घन मीटर) का अनुमान है। ये आंकड़े मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वन सीमांत गांवों में राज्य के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वन और वन–आधारित संसाधनों के मूल्य को इंगित करते हैं।

2.13 राज्य के वन और वन्यजीव क्षेत्र भी कई जैविक और अजैविक दबावों से ग्रस्त हैं जो वनों के स्वास्थ्य और अवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं। अतिक्रमण, वनों की कटाई, खनन, चराई, वन्यजीवों का अवैध शिकार, प्राकृतिक आवास का ह्रास और वनाग्नि आदि वनों और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक हैं। खुली सीमाओं के साथ बड़े वन क्षेत्र, खंडित वन खंड और विशाल पशुधन आबादी, राज्य में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्स्थापन और प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाली आबादी की ईंधन–लकड़ी, चारा और छोटी इमारती लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर बढ़ते दबाव के बावजूद, यह सराहना के योग्य है कि राज्य में वर्ष 1995 के बाद वन आवरण का कोई शुद्ध नुकसान नहीं हुआ है।

2.14 राजस्थान राज्य वन और वन्यजीवों से संपन्न और समृद्ध है जिसमें शिकार और परभक्षी जीवों की एक विहंगम बहुलता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी पक्षियों के आगमन में वृद्धि देखी जा रही है और इसने राज्य के लोगों में गहरी दिलचस्पी पैदा की है। यह समृद्ध जैव विविधता बड़ी संख्या में पर्यटकों को राज्य की ओर आकर्षित करती है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

2.15 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन रेखा का आधार वन ही हैं, विशेष रूप से आदिवासी और स्थानीय समूह जो वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहते हैं। इनके जीवन में वन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए जीवन और आजीविका को आसान बनाने में योगदान मिलता है।

2.16 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वानिकी क्षेत्र राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में लगभग 2.19 प्रतिशत का योगदान देता है।

3. विज़न

राज्य में पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की एकीकृत उपलब्धि की दिशा में वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से वनों, वन्य जीवन, जैव

विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी बीस वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाना।

4. उद्देश्य

वर्तमान वन नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

4.1 वर्तमान प्राकृतिक वनों, वन्य जीवन और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन करना जिससे पारिस्थितिक सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रवाह के लिए वनों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए योगदान देना।

4.2 वर्तमान में स्थित वन क्षेत्रों में वनों की कटाई, पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों को प्रोत्साहित करके और मौजूदा वन क्षेत्रों के बाहर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को प्रोत्साहित और विस्तारित करके राज्य में वन/वृक्ष आच्छादन की सीमा को बढ़ाने के लिए साझा भूमि संसाधानों पर वन सुरक्षा और वनीकरण प्रथाओं को बढ़ावा देना, कृषि भूमि पर कृषि वानिकी पद्धतियां और उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण करना।

4.3 वन और चारागाह आधारित संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत उपयोग के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना।

4.4 उचित प्रबंधन हस्तक्षेपों तथा समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से मरूस्थलीकरण सहित भूमि के सभी प्रकार के क्षरण को रोकना एवं वनों, घास के मैदानों और वृक्षारोपण के तहत भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

4.5 विशेष रूप से घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों, पवित्र उपवनों, मरूस्थलों जैसे जैव–विविधता से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और प्रबंधन सहित बाह्य स्थानिक (एक्स–सीटू), स्वस्थानिक (इन–सीटू) और गैर स्थानिक (सर्का–सीटम) संरक्षण उपायों के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ और लुप्तप्रायः प्रजातियों की वनस्पतिक एवं प्रणियों की विविधता तथा उनके अनुवांशिक संसाधन भंडार (जीन पूल रिजर्व) को संरक्षित करना।

4.6 जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन उपायों कों वन, वन्यजीवों एवं जैव विविधता प्रबंधन तथा राजस्थान के वनस्पतिक आवरण के प्रबंधन के साथ एकीकृत करना।

5. वन प्रबंधन के सिद्धांत

राज्य वन नीति के विज़न और उद्देश्यों को निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जाएगा :–

5.1 **संरक्षण और समेकनः** वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को बढ़ावा और गति देता है। सुगठित (कॉम्पैक्ट) और समस्पर्शी पारिस्थितिक इकाइयों का इसके भागों के योग से कहीं अधिक लाभकारी प्रभाव होता है। इसलिए, सहक्रियात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षा बढ़ाने, वन क्षेत्रों के विखंडन को कम करने और पारिस्थितिक इकाइयों के समेकन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

5.2 **पारिस्थितिक पुनर्स्थापनः** पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के पुनर्स्थापन को इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी ताकि क्षेत्र की पारिस्थितिक संरचना, कार्यों और जैव विविधता को बहाल किया जा सके।

5.3 **सतत्ताः** पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों के बीच इस तरह से एक समान संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

5.4 **विस्तारः** अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण को बढाने के प्रयासों और निवेश को फैलाना अनिवार्य है जिससे कि वास्तविक वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाया जा सके।

5.5 **प्रमाण आधारित दृष्टिकोणः** अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और क्षेत्र के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सहेजकर वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता के पुनर्स्थापन एवं संरक्षण के सभी प्रयासों में प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

5.6 **भागीदारीः** दीर्घकालिक सतत्ता प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों के हितधारकों की भागीदारी और जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा।

6. रणनीति

किसी भी पारिस्थितिक इकाई के लिए वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जो एक–दूसरे के पूरक हैं। इनकी पारस्परिकता और गतिशीलता विभिन्न मूर्त और अमूर्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को परिभाषित करती है,जिसे कि पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है।

6.1 मोटे तौर पर, इस नीति के विज़न और उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :–

6.1.1 वर्तमान में विद्यमान वनों और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन का कार्य अनुमोदित कार्य योजनाओं / प्रबंधन योजनाओं / कार्य योजनाओं के अनुसार मौजूदा नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना है।

6.1.2 वन भूमि पर प्राकृतिक पुनरूत्पादन और कृत्रिम पुनरूत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।

6.1.3 सामुदायिक भूमि जैसे गोचर, ओरण, चारागाह आदि पर सक्रिय रूप से सुरक्षा, संरक्षण और वृक्षारोपण करना।

6.1.4 संस्थागत / सार्वजनिक भूमि, सड़कों, नदियों, नहरों, रेलवे ट्रैक आदि के किनारे रैखिक पट्टियों पर सक्रिय रूप से वृक्षारोपण करना ।

6.1.5 वन क्षेत्र से बाहर पर्याप्त ऊँचाई के पौधों के वितरण के माध्यम से व्यक्तिगत / किसानों को सक्रिय रूप से प्रेरित कर वृक्षावरण को बढ़ावा देना।

6.1.6 संबंधित विभागों, एजेंसियों, संस्थानों और संगठनों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना ताकि उनकी क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में पारिस्थितिक और वन संबंधी विचारों को एकीकृत किया जा सके और रोपण, सुरक्षा,संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से अधिक क्षेत्र को प्रभावी वन और वृक्षाच्छादन के तहत लाया जा सके।

6.1.7 मौजूदा प्रावधानों के अनुसार वनों और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में गहन और व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.8 वनों और संरक्षित क्षेत्रों की उत्पादकता में उनके पारिस्थितिक कार्यों के साथ–साथ राज्य के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए उनके योगदान में सुधार, क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्रो के अनुरूप प्राथमिकता दी जानी है।

6.1.9 दीर्घकालिक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सन्दर्भ में वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता की भूमिका और महत्व के बारे में सभी हितधारकों का व्यापक संवेदीकरण, अभिविन्यास, शिक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करना।

6.2 वन संरक्षण

किसी भी वन के विकास और पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अवैज्ञानिक व अनियमित हस्तक्षेप तथा जैविक/अजैविक दबावों से प्रभावी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यह वन क्षेत्र पर निरंतर निगरानी, हितधारकों के साथ नियमित जुड़ाव और खतरे की गंभीरता के अनुपात में सुरक्षा क्षमता में वृद्धि के माध्यम से हो सकता है। वन संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.2.1 ब्लॉक फाइलों, अधिसूचनाओं और ब्लॉक मानचित्रों सहित वन भूमि अभिलेखों का समेकन और राजस्व भूमि अभिलेखों में उत्परिवर्तन सहित उनकी उचित प्रविष्टि करना।

6.2.2 अच्छी गुणवत्ता वाले सीमा स्तंभों के माध्यम से जमीन पर वन भूमि का उचित सीमांकन करना।

6.2.3 वन क्षेत्र की निगरानी में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और संचार प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करना।

6.2.4 प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कानूनी प्रावधान कर अपराधों की रोकथाम करना।

6.2.5 मुखबिरों को पुरस्कृत करने, पता लगाने,वन अपराधों की रोकथाम, जांच और कार्यवाही में सहयोग करने वालों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन योजना का संचालन करना।

6.2.6 वनों की आग का पता लगाने और उस पर नियंत्रण करने में सहायता करने वाले लोगों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाना।

6.2.7 पेट्रोलिंग में सुधार, निगरानी और वन चेक पोस्ट संचार तंत्र को मजबूत करना।

6.2.8 संरक्षण गतिविधियों में वन अधिकार धारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.2.9 प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और सूचना साझा करने के माध्यम से संबंधित विभागों के बीच समन्वय में सुधार करना।

6.2.10 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और अपराधों को रोकने के लिए विश्लेषणात्मक ढांचे में सुधार करना।

6.2.11 वन सुरक्षा में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.2.12 वृक्षों, वनस्पतियों और वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक नीतिगत पहल करना।

6.2.13 फायर–लाइनों और वॉच–टावरों के नेटवर्क में सुधार और वनों की आग को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण देना।

6.2.14 वन्य जीवों से संबंधित अपराधों की पहचान और जांच में सुधार करना।

6.2.15 वन (संरक्षण) अधिनियम एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए समय बद्ध तरीके से अनापत्ति प्रदान की जायेगी तथा वन क्षेत्रों में किसी भी गैर वानिकी गतिविधियों एवं अपेक्षित अनापत्ति के बिना पाई गई गैर वानिकी गतिविधियों की प्रभावी रूप से रोकथाम की जायेगी।

6.2.16 वन एवं वन्य जीव अपराधों के लिए केन्द्रीकृत डाटाबेस सृजित किया जायेगा तथा गंभीर अपराधियों का पता लगाने, पकड़ने एवं अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए उनकी पत्रावली सृजित की जावेगी ।

6.3 वन विकास और संरक्षण

निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण को मजबूत किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा :–

6.3.1 पुनरूत्पादन और आवास सुधार सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट ऊंची पक्की दीवार के साथ संभावना–युक्त क्षेत्रों के बड़े हिस्से को प्रभावी ढंग से बंद किया जाएगा।

6.3.2 पुनर्स्थापन या वनीकरण से एक वर्ष पहले क्षेत्रों को अग्रिम रूप से बंद करने को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्राकृतिक पुनरूत्पादन हो सके और जैव विविधता को पुनर्जीवित किया जा सके। तत्पश्चात्, आवश्यकता के आधार पर रोपण, सीधी बुवाई और प्राकृतिक पुनरूत्पादन को बढ़ावा दिया जावेगा।

6.3.3 वनीकरण और पुनर्वनीकरण के लिए गांव की पड़त भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और रैखिक पट्टियों को लिया जाएगा।

6.3.4 वनीकरण/पुनर्वनीकरण/पुनर्स्थापन कार्य के सभी चरणों के दौरान ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिकी–विकास समितियों, पंचायत राज

संस्थाओं, शहरी/स्थानीय निकायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को शामिल करने के प्रयासों में अधिक सक्रिय सामुदायिक भागीदारी होगी।

6.3.5 वन क्षेत्रों के विकास और संरक्षण में सकारात्मक रूप से जुड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार वन अधिकार और सामुदायिक अधिकार धारकों को सहायता प्रदान की जाएगी।

6.3.6 पारिस्थितिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, वनस्पतियों और वन्य जीवों की दुर्लभ, लुप्तप्रायः और संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आश्रय स्थल, प्रमाणित प्लस वृक्ष और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व के क्षेत्र के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा।

6.3.7 घोषित वन क्षेत्रों के बाहर निजी भूमि और कृषि क्षेत्रों में वृक्षारोपण बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

6.3.8 नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और मिट्टी के कटाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार उचित वानिकी और जलग्रहण तकनीकी के आधार पर भू–नमी संरक्षण उपायों के साथ किया जाएगा।

6.3.9 सड़क किनारे वृक्षारोपण के विकास, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाओं, वन्यजीव संरक्षण योजना और ऐसी अन्य परियोजनाओं को अन्य एजेंसियो के माध्यम से किया जाएगा।

6.3.10 नवीनतम अनुसंधान निष्कर्षों और प्रौद्योगिकी की नियमित रूप से पहचान की जाकर सभी संरक्षण और पुनर्स्थापन में उपयोग किया जाएगा।

6.3.11 सभी योजनाओं और परियोजनाओं में स्थापित वनवर्धन प्रणाली को विधिवत शामिल किया जाएगा।

6.4 वन प्रबंध

वन प्रबंधन में सभी उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक ज्ञान और वित्तीय संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। वन प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा :–

6.4.1 वन क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु विस्तृत कार्य योजनाओं और प्रबंधन योजनाओं को आधार बनाया जाएगा।

6.4.2 विभिन्न परियोजनाओं के तहत पूर्व में उपचारित किए गए क्षेत्रों जिनमें अभी भी सुधार की संभावना है, उनमें भविष्य में पुनः उपचार किया जाएगा।

6.4.3 ऐसे वन क्षेत्र जिन्हें विभिन्न कारणों से प्राथमिकता के आधार पर उपचारित किया जाना है, का चिन्हीकरण उचित योजना तैयार करने हेतु किया जायेगा।

6.4.4 संतुलित परिणाम पाने की उद्देश्य से संसाधनों का निवेश यत्र–तत्र कार्यस्थल चयन करने के स्थान पर सन्निहित वन क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

6.4.5 निरीक्षण के मानदंडों को नियमित रूप से अद्यतनीकरण किया जाएगा और उन पर बारीकी से निगरानी रखी जाएगी।

6.4.6 फील्ड कार्मिकों और ग्राम्य वन सुरक्षा और प्रबंध समितियों (वीएफपीएमसी) के सदस्यों को उनके प्रभावी और बेहतर योगदान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

6.4.7 वन अधिकार धारकों को उत्तम वन क्षेत्रों के विखंडन को रोकने तथा वनों एवं वन्य जीवों के विकास के लिए निर्बाध स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अच्छे वन खंडों से उनकी परिधि तक अथवा वन खंडों के बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक पुनर्स्थापन की संभावना तलाशने का प्रयास किया जायेगा।

6.4.8 सुदृढ़ वन प्रबंधन हेतु प्रचलित नियमों के अधीन अधिकार धारकों और ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

6.5 जैव विविधता संरक्षण एवं वन्यजीव प्रबंधन

राज्य के अधिकांश जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत घोषित संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कई जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र भी वन्यजीवों, वनस्पतियों तथा पक्षी प्रजातियों के आश्रय स्थल हैं। ऐसे क्षेत्रों के उचित संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :–

6.5.1 वन्यजीव गलियारों (कॉरिडोर्स) के सृजन एवं प्रबंधन, नए अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों की स्थापना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

6.5.2 सभी संरक्षित क्षेत्रों को आवास सुधार, शाकाहारी प्राणियों में वृद्धि, स्थायी जल

स्रोतों के प्रावधान, अग्नि नियंत्रण उपायों और विनियमित इको–टूरिज्म पर विशेष ध्यान देते हुए अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।

6.5.3 लुप्तप्रायः प्रजातियों जैसे बाघ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैराकल, स्पाईनी टेल्ड लिज़र्ड (सांडा), पैंगोलिन, भेड़िये, प्रवासी पक्षियों आदि के संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6.5.4 बाघ और भालू के ऐतिहासिक आवास, जो अब परिभ्रांषित हो चुके हैं, को प्रभावी संरक्षण और आवास सुधार द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा।

6.5.5 डेज़र्ट राष्ट्रीय उद्यान तथा थार मरूस्थल के अन्य प्राकृतिक आवासों में उपयुक्त प्रबंधन हस्तक्षेपों द्वारा मरुस्थलीय, शुष्क एवं अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के जीवों की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

6.5.6 संरक्षित क्षेत्रों, टाइगर रिज़र्व और क्रिटिकल हैबिटेट्स के अंदर स्थित गांवों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5.7 संरक्षित क्षेत्रों के विखंडन को रोकने और वन्यजीवों के लिए निर्बाध स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर वास कर रहे वन अधिकार धारकों को स्वैच्छा से वन क्षेत्र की परिधि या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में पुनर्वास किये जाने की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

6.5.8 उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य–जीव समृद्ध क्षेत्रों के बीच गलियारों का विकास किया जायेगा।

6.5.9 उपयुक्त स्थानों पर वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक योजनाएँ बनाई जाएँगी ताकि जलसंकट की अवधि के दौरान संचयित जल का उपयोग किया जा सके।

6.5.10 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों और उनके घटकों को समान रूप से लाभों के साझाकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए आजीविका के समुचित अवसर सृजित करने के लिए उपयुक्त रूप से जोड़ा जाएगा।

6.5.11 देववन/ओरण/पवित्र उपवनों की विधिवत पहचान की जाएगी तथा स्थानीय समुदायों और उनकी परंपराओं व ज्ञान के परामर्श से उचित प्रबंधन योजनाएँ तैयार की जाएंगी।

6.5.12 मानव और वन्यजीवों के मध्य संघर्ष बढ़ती चिंता का विषय है। इस संघर्ष का शमन करने के लिए उपयुक्त योजनाएँ तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीतियाँ और ढाँचा विकसित किया जाएगा।

6.5.13 लार्ज–कैट प्रजातियों सहित वन्य प्राणियों के बचाव अभियान को सुदृढ़ करने के लिए विशेष पशु चिकित्सा देखभाल इकाई की स्थापना की जाएगी।

6.5.14 वन विभाग में वन्य प्राणियों के उपचार हेतु विशेष प्रशिक्षण देकर सुप्रशिक्षित पशु चिकित्सकों का संवर्ग विकसित किया जायेगा।

6.6 घास–मैदानों का प्रबंधन

राज्य की पशुधन आबादी अपने चारे और खाद्य की आवश्यकताओं के लिए घास के मैदानों पर अत्यधिक निर्भर है। घास के मैदान महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य भी करते हैं जैसे मिट्टी को बांधना, मरुस्थलीकरण को रोकना, मिट्टी की आर्द्रता में सुधार और कार्बन पृथक्करण, भूजल पुनर्भरण आदि। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB), फ्लोरिकन, ब्लैक बक, चिंकारा आदि प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए घास के मैदानों पर निर्भर हैं।

घास के मैदानों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने और पशुधन तथा वन्यजीवों को पौष्टिक चारा प्रदान करने के लिए आवश्यक है जिससे न केवल वन्यजीवों के आवास स्थलों के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख भूमिका निभाई जा सके। मानव और पशुधन की बढ़ती आबादी ने राज्य के चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर दबाव डाला है। इन घास के मैदानों को अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाज के लिए उत्पादक और उपयोगी बनाने के लिए दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियों और प्रजाति स्तर की निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता है।

घास के मैदानों के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे :–

6.6.1 इस तरह के घास के मैदानों से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और लैंटाना कैमारा जैसी आक्रामक प्रजातियों के उन्मूलन के लिए उपयुक्त योजना विकसित और कार्यान्वित की जाएगी, जिसके बाद प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए उपयुक्त घास प्रजातियों के साथ पुनःरोपण और बुवाई की जाएगी।

6.6.2 वन क्षेत्रों से बाहर मौजूद घास के मैदानों को प्रबंधित घास के मैदानों के रूप में

विकसित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र के साथ–साथ सामाजिक बाड़ लगाने के तरीकों को अपनाया जाएगा।

6.6.3 सतत् उपयोग और प्रबंधन के लिए लोगों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ चारागाह की वहन क्षमता के आधार पर उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाएगी।

6.6.4 घास की स्थानीय प्रजातियों और शुष्क भूमि वनस्पतियों में पाई जाने वाली प्रजातियों को चुनने और बढ़ाने के लिए नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण और कार्यान्वयन किया जाएगा।

6.6.5 पारंपरिक चारागाह भूमि का विकास पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग और सक्रिय भागीदारी से किया जाएगा।

6.7 मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की रोकथाम

वायु अपरदन, जल अपरदन, जल भराव आदि राज्य में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के प्रमुख कारण हैं। मरुस्थलीकरण से कृषि भूमि उत्पादकता और आजीविका के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य और जल सुरक्षा को खतरा होता है। इस संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी :–

6.7.1 सक्रिय रूप से चलायमान रेत के टीलों के स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

6.7.2 मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी भूमि पर विंड–ब्रेक्स और शेल्टर–बेल्ट वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।

6.7.3 मरुस्थलीकरण प्रक्रिया की गति को रोकने के लिए स्थानीय प्रजातियों के साथ सिल्वी–पशुचारी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.7.4 रेत के टीलों की पुनः सक्रियता करने की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय वनस्पति की शुरूआत के साथ अनुक्रमिक पुनर्स्थापन हस्तक्षेपों को लागू किया जाएगा।

6.7.5 खड्डों, लवणीय क्षेत्रों और जलभराव वाले क्षेत्रों को उपयुक्त मृदा कार्य तकनीकों का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रजातियों के रोपण द्वारा पुनरूत्पादित और विकसित किया जाएगा।

6.8 वन उपज का संरक्षण और प्रबंधन

वन, ग्रामीण भूमि और कृषि–पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार की वन उपज के भंडार हैं

जो न केवल लोगों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि आजीविका के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। हालांकि, समय के साथ–साथ विभिन्न मानवजनित दबावों और अनियंत्रित विदोहन प्रथाओं के कारण, उत्पादन प्रणालियों की स्थिति खराब हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों और जनकल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.8.1 महत्वपूर्ण गैर काष्ठीय वनोत्पाद जैसे वृक्ष जनित तिलहन, गोंद, ओलियो–रेज़िन, जंगली फूल, जंगली फल, तेंदू पत्ते और औषधीय व सुगंधित पौधों के उत्पादन–आधार को बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी।

6.8.2 महत्वपूर्ण वनोपजों के लिए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार संपर्क विकसित करने को महत्व दिया जाएगा।

6.8.3 बांस, गैर काष्ठीय वनोत्पाद और औषधीय पौधों के विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

6.8.4 किसानों के लिए प्रचार और खेती पैकेज पर प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए दुर्लभ, लुप्तप्रायः और संकटग्रस्त (आरईटी) औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.8.5 कृषि क्षेत्रों और निजी जोत में उपयोगी प्रजातियों के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए कटाई और पारगमन नियमों को संशोधित किया जाएगा।

6.8.6 वन्य वृक्ष प्रजातियों के घरेलूकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कृषि वानिकी प्रथाओं में शामिल करके बढ़ावा दिया जाएगा।

6.9 आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन

आक्रामक विदेशी प्रजातियां प्रतिकूल पारिस्थितिक परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक हैं। राजस्थान में, प्रमुख आक्रामक प्रजातियों में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लैंटाना कैमारा आदि शामिल हैं। इन प्रजातियों ने टाइगर रिज़र्व सहित कई स्थानों पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर रूप से आक्रमण किया है और स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। यद्यपि, ये प्रजातियाँ ईंधन की लकड़ी और चारे की खुराक के स्रोत के रूप में भी काम करती हैं, जिससे अच्छे वन क्षेत्रों हेतु बफर प्रदान किया जाता है। तदापि, उनके वर्तमान प्रसार से उन्मूलन की

आवश्यकता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उचित नियंत्रण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.9.1 आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए उपयुक्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रबंधन योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी।

6.9.2 स्थानीय समुदायों के सक्रिय समर्थन और सहायता से एक बार हटाए जाने के बाद ऐसी विदेशी प्रजातियों के पुनः आगमन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा।

6.9.3 जहां तक संभव हो, समाज के लाभ के लिए निकाले गए या काटे गए उत्पाद का उत्पादक रूप से उपयोग किया जाएगा।

6.9.4 आक्रामक जीव प्रजातियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए भी उपयुक्त योजनाएं विकसित की जाएंगी।

6.10 सामुदायिक वानिकी और साझा वन प्रबंधन

वनों और घास के मैदानों के लिए सहभागी दृष्टिकोण, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और समावेशिता सुनिश्चित करता है। प्रक्रिया को और बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.10.1 मौजूदा 3–स्तरीय साझा वन प्रबंधन जिसमें ग्राम्य वन सुरक्षा और प्रबंध समितियां (वीएफपीएमसी) और ग्राम स्तर पर पारिस्थितिकी विकास समितियां (ईडीसी), मण्डल स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA) को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

6.10.2 समय की बदलती आवश्यकता को शामिल करने के लिए ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों तथा पारिस्थितिकी विकास समितियों से संबंधित संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्तावों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

6.10.3 वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण, विकास, पुनर्स्थापना और संरक्षण में लोगों और समुदायों को उनकी सक्रिय भूमिका और समर्थन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा।

6.10.4 वनों की सुरक्षा, विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उन्हें सशक्त बनाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

6.10.5 मौजूदा वनस्पतियों के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ–साथ निजी एवं राजस्व भूमि पर वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.10.6 वन सुरक्षा, विकास, संरक्षण और प्रबंधन में प्रभावी निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ढांचा तैयार किया जाएगा।

6.10.7 आमजन में जागरूकता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति लोगों की जागरूकता और दिशा निर्देशों/उन्मुखीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6.11 उत्पादकता में वृद्धि

वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता पर बढ़ते मानवजनित दबाव के बावजूद उन्नत तकनीकी और प्रबंधन की कार्य प्रणाली को शामिल करके क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :–

6.11.1 लकड़ी और गैर–काष्ठीय वनोत्पाद की उत्पादकता में वृद्धि के लिए:

6.11.1.1 महत्वपूर्ण स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के लिए वृक्ष सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे और प्रत्येक प्रजाति के लिए कैंडिडेट प्लस ट्री (सीपीटी) को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए बीजों और वनस्पतिक प्रवर्धन के संग्रह के लिए पहचाना जाएगा। सीपीटी/बीज बागों से बहुगुणित पौधों का उपयोग पुनर्वनीकरण, वनीकरण और पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में किया जाएगा।

6.11.1.2 सभी प्रकार के रोपण कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का उपयोग किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों एवं वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग किया जायेगा।

6.11.1.3 पौधशाला में पौधे उगाने और क्षेत्र में रोपण के लिए बेहतर और उन्नत तकनीक और प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.11.1.4 निजी एवं राजस्व क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये ऊतक संर्वधन (टिश्यू कल्चर), बेहतर बीज एवं पौधों जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जायेगा।

6.11.2 प्राकृतिक वनों की संरचना, कार्यों, सेवाओं के संदर्भ में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए:

6.11.2.1 मौजूदा रोपण/पुनर्स्थापना मॉडल की समीक्षा की जाएगी और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

6.11.2.2 महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रजातियों जैसे एनोगिसस पेंडुला, प्रोसोपिस सिनेरेरिया,

कोमिफोरा वाइटिआई आदि को उगाने की विधियों का मानकीकरण किया जाएगा।

6.11.2.3 सभी पुनर्स्थापन कार्यक्रमों का उद्देश्य बहुस्तरीय वनस्पतियों और स्थानीय जीवों के साथ प्राकृतिक वन को विकसित करना होगा। स्थानीय प्राणियों के समर्थन के लिए उपयुक्त आवास विकसित किए जाएंगे।

6.11.2.4 काष्ठ, चारा, बांस, ईंधन की लकड़ी और औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण स्टॉक/क्लोन के उत्पादन के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालयों जैसे अनुसंधान संस्थानों के सहयोग को सुदृढ़ कर और बढ़ाया जाएगा।

6.12 सिल्वीकल्चर, अनुसंधान एवं प्रसारः

अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे :–

6.12.1 वानिकी विशेषज्ञों को वनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन, वनों के बाहर कृषि–वानिकी और पेड़ों और बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र के उपचार के लिए अनुसंधान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.12.2 विभाग की सिल्वीकल्चर विंग निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देगीः

6.12.2.1 विभिन्न प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों के लिए तकनीकी दिशा–निर्देशों का सुझाव देना।

6.12.2.2 मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करना और परिवर्तन हेतु उचित सुझाव देना।

6.12.2.3 वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

6.12.2.4 महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए प्लस ट्री की पहचान और पुनरूत्पादन सामग्री का संग्रह, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड्स (SSO) और क्लोनल सीड ऑर्चर्ड्स (CSO) का निर्माण और गुणवत्ता पूर्ण रोपण स्टॉक उत्पादन और सीधी बुवाई के लिए क्षेत्र के कार्यालयों को बीज सामग्री प्रदान करना।

6.12.2.5 समस्याग्रस्त स्थलों के पुनर्वास की विधियाँ विकसित करने के लिए अनुसंधान, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से प्रभावित स्थलों में सुधार

और स्थानीय बहुउद्देशीय प्रजातियों के पुनरूत्पादन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

6.12.2.6 बीहड़ों, बंजर भूमि, खड़ी पहाड़ी ढलानों और अन्य परिभ्रांषित क्षेत्रों के लिए स्थल–विशिष्ठ और प्रमाण–आधारित पुनर्स्थापना/रोपण तकनीकों का विकास करना।

6.12.2.7 आर्द्रभूमि आवासों और प्रवासी पक्षियों का अध्ययन और उपयुक्त हस्तक्षेपों का सुझाव देना।

6.12.2.8 समाज हेतु मूर्त और अमूर्त लाभों के लिए विभिन्न प्रकार के वनों की कार्बन पृथक्करण क्षमता सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अध्ययन और इसे क्षेत्र की प्रबंधन प्रथाओं में शामिल करना।

6.12.2.9 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों की भागीदारी के साथ औषधीय पौधों सहित गैर–काष्ठीय वनोत्पाद के संरक्षण की स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन करना।

6.12.2.10 वन उत्पादन, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन के बारे में विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ सहयोग करना।

6.12.2.11. जमीन पर ज्ञान के अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए उष्णकटिबंधीय वनों और उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों पर ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना।

6.13 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में नई प्रौद्योगिकी और संसाधनों का समावेश.

इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगेः

6.13.1 वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, वर्तमान प्रणाली को बदला जाएगा और अन्य डेटाबेस के साथ समन्वय की क्षमता के साथ एक उचित उद्यम समाधान के रूप में विकसित किया जाएगा। उदाहरणार्थ, निर्णय लेने में सक्षम करने,परिवहन विभाग के पंजीकृत वाहन, पंजीकृत आग्नेयास्त्रों और अपराध संबंधी डेटा के संदर्भ में पुलिस आदि के साथ बातचीत।

6.13.2 कार्य में सुधार के लिए बेहतर संचार उपकरण, बहुउद्देश्यीय हैंडहेल्ड डिवाइस और सहायक उपकरण और डेटा कनेक्शन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

6.13.3 नियमित वन प्रबंधन के लिए डिजिटल तकनीक और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए फील्ड कार्यालयों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाएगा।

6.13.4 बेहतर योजना और प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी और डेटा को डिजिटाइज़ किया जाएगा।

6.13.5 पौधों की पहचान, बीज उपचार, नर्सरी तकनीक, प्राक्कलन तैयार करने और सार्वजनिक वितरण के लिए रोपण स्टॉक की उपलब्धता के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा।

6.13.6 रोपण, रखरखाव, ग्रोइंग स्टॉक के आँकलन, उत्पाद और बाजार की जानकारी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर आधारित किसान–अनुकूल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

6.13.7 रिमोट सेंसिंग / यूएवी आदि के माध्यम से प्राप्त डेटा की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त डिजिटल डेटाबेस और क्षमता विकसित की जाएगी।

6.13.8 वन विभाग में सभी स्तरों पर मानव संसाधन के अनुरूप क्षमता का सृजन किया जायेगा।

6.13.9 वन प्रकार, मुकुट घनत्व, बढ़ते स्टॉक और अतिक्रमण आदि का आँकलन और निगरानी करने के लिए स्थानिक इमेजरी का गहनता से उपयोग किया जाएगा।

6.14 मानव संसाधन विकास, प्रशासन और कर्मचारी कल्याण

मानव पूंजी और मानव संसाधन विकास में सुधार के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.14.1 प्रशिक्षणः

6.14.1.1 प्रशिक्षण संस्थानों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षण सामग्री का एक डेटाबेस बनाया जाएगा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

6.14.1.2 वन कर्मियों के सभी स्तरों के लिए समय–समय पर अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

6.14.1.3 वन प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अन्य विभागों और

एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मियों के लिए नियमित उन्मुखीकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

6.14.1.4 वानिकी कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों के सहयोग से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विषयक एवं सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

6.14.1.5 मुद्दों, चुनौतियों और विकास की समझ में सुधार करने के लिए वानिकी कर्मियों, हितधारक समुदायों, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक्सपोजर यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

6.14.1.6 प्रशिक्षण और कैरियर विकास में समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर फ्रंटलाइन स्टाफ और अधीनस्थ वन सेवाओं के डेटाबेस का निर्माण।

6.14.1.7 वन अधिकारियों, वन समितियों के सदस्यों और वानिकी के विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली का उचित उपयोग किया जाएगा।

6.14.1.8 विभिन्न स्तरों पर वन अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने और विभिन्न अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विशिष्ट सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

6.14.1.9 वन प्रबंधन की मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सामुदायिक गतिशीलन, आजीविका में सुधार, ज्ञान प्रबंधन, ज्ञान को क्रियान्वयन से जोड़ने की रणनीति, पारिस्थितिक पर्यटन, संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों का विस्थापन, वनाग्नि प्रबंधन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन, मानव–वन्यजीव संघर्ष, आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवंअन्य स्तर पर हथियारों और आग्नेयास्त्रों का उपयोग जैसे विषयों का समावेश करना।

6.14.2 प्रशासनः

6.14.2.1 वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुरूप अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अधीनस्थ वन सेवाओं की तैनाती और पदों का युक्तिकरण समकालीन समय की प्रबंधन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लगभग 5–7 वर्ग किमी. क्षेत्र को वन रक्षक के अधीन सौंपने का प्रयास किया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक मंडल के लिए अधीनस्थ वन सेवाओं की स्वीकृति को संशोधित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार नए पद सृजित किए जाएंगे।

6.14.2.2 अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे जैसे कि रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर गतिविधियां करना, जैव–विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित कार्य, इको सेंसिटिव जोन, वन्यजीव गलियारा प्रबंधन, आर्द्रभूमि संरक्षण करना।

6.14.2.3 वन नियमावली में परिभाषित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वन प्रबंधन के बदलते परिदृश्य के अनुरूप समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

6.14.2.4 सभी संवर्गों और रैंकों में नियमित भर्ती और समय पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यवस्था और प्रयास किए जाएंगे।

6.14.2.5 वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं साहसी कार्य करने वाले वन अधिकारियों को बारी से पहले पदोन्नति देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इस संबंध में सेवा नियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

6.14.2.6 प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, (जयपुर), वन प्रशिक्षण विद्यालयों (अलवर एवं जोधपुर) का पर्याप्त उन्नयन एवं सुधार के साथ–साथ कोटा, उदयपुर एवं ताल छापर जैसे स्थानों पर उप–प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

6.14.3 कर्मचारी कल्याणः

6.14.3.1 वन कर्मचारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु/

अशक्तता की स्थिति में निकट संबंधी को पर्याप्त अनुग्रह राशि एवं अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे।

6.14.3.2 दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जायेगा।

6.14.3.3 फील्ड कर्मियों और अधिकारियों के बीच नियमित संवाद और बातचीत के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित और मजबूत किया जाएगा ताकि उचित संचार को सक्षम किया जा सके।

6.15 विविध उपाय

6.15.1 वनों, वन्यजीवों और संरक्षित क्षेत्र से समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन नीति, राजस्थान राज्य पर्यटन नीति द्वारा शासित होगा।

6.15.2 वनों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर ऐसे अद्वितीय भू–दृश्यों की रक्षा और संरक्षण के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

6.15.3 वनों के बाहर वन्यजीवों और जैव विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रवासी और स्थानीय एविफौना और उनके आवास के लिए, उपयुक्त एजेंसियों को प्रभावित करने और उनको बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे जो स्थानीय और प्रवासी एवियन जीवों की चिंता को समायोजित करते हैं।

6.15.4 कृषि–वानिकी पद्धतियों को शामिल कर उपयोगी वन्य वृक्ष प्रजातियों के घरेलूकरण को बढ़ावा दिया जायेगा।

6.15.5 महिलाएं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस संबंध में वन कर्मियों के बीच मनोवृत्ति क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6.16 वित्तीय सहायता तंत्र

इस नीति के निर्देश को अक्षरशः लागू करने के लिए सभी संभव स्रोतों से निवेश और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

6.16.1.विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।

6.16.2. संसाधन सृजन हेतु नई विंडो बनाने के लिए उपयुक्त प्रावधान और तंत्र बनाया जाएगा।

6.16.3. वन विकास निगम के माध्यम से व्यवसायिक संचालन को बढ़ावा दिया जायेगा।

6.16.4. बाह्य सहायता प्राप्त एजेंसियों, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपलब्ध राशि, पर्यावरण मुआवजा आदि से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

6.16.5. वानिकी कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आदिवासी विकास योजना, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, राष्ट्रीय बांस मिशन आदि सहित अन्य कार्यों एवं योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

6.16.6 निजी और कॉर्पोरेट निवेश प्रयोजन आदि के प्रवाह को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

6.16.7 संरक्षित क्षेत्रों/पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन और विकास को मजबूत करने एवं विविधता को बढावा देने के लिए संरक्षित क्षेत्रों और पर्यटन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व को दोबारा उपयोग करने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा।

6.16.8 वनों के विकास हेतु निजी व्यक्तियों/संगठनों से अनुदान को प्रोत्साहित करने हेतु 'हरित राजस्थान कोष' की स्थापना की जायेगी। ऐसे दान को आयकर अधिनियम के तहत आयकर से छूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

6.16.9 जलवायु परिवर्तन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी), वैश्विक पर्यावरण कोष (जीईएफ), स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम), वनों की कटाई से उत्सर्जन को कम करने और वन गिरावट (आरईडीडी +) तंत्र जैसे धन के वैश्विक और राष्ट्रीय स्रोत वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाएंगे।

6.17 प्रबोधन एवं मूल्यांकन

वन संबंधी गतिविधियाँ स्वभावतः दीर्घकालिक होती हैं और इनका निर्माण काल भी लम्बा होता है। इसलिए गतिविधियों की नियमित निगरानी और समय पर मूल्यांकन कार्यों और गतिविधियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। तदनुसार,

निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का उन्नयन और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

6.17.1 अत्याधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी जैसे मोबाइल आधारित ऐप, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग इमेजरी और एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया जाएगा।

6.17.2 प्रबोधन और मूल्यांकन के मानदंड और संकेतक ढांचे को भी नई चुनौतियों और समय की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

6.17.3 सभी वनीकरण, पुनर्वनीकरण, पुनर्स्थापन और संरक्षण के प्रयासों की सफलता को पारिस्थितिक सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र,क्रियात्मकता और क्षेत्र में जैविक विविधता को पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के अनुरूप बदलाव के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा व आर्थिक और सामाजिक कल्याण मानदंडों और संकेतकों के परिभाषित सेट के साथ प्रदर्शन के मूल्यांकन का उपयुक्त ढांचा तैयार कर कार्यान्वित किया जाएगा।

6.17.4 पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए बाह्य तृतीय पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.17.5 जटिल परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी।

6.17.6 एक व्यापक और बहु–स्तरीय प्रबोधन और मूल्यांकन प्रक्रिया को क्षेत्र स्तर, परियोजना, योजना स्तर व नीति स्तर पर वनों और वन क्षेत्रों से बाहर मूल्यांकन हेतु उपयोग में लिया जाएगा।

6.17.7 स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सहभागी समुदाय आधारित प्रबोधन और मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा।

6.17.8 ऐसे प्रबोधन और मूल्यांकन प्रयासों के परिणामों और उनमें प्राप्त सुधार के सुझावों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ बहुस्तरीय ढांचा विकसित किया जाएगा।

7. नीति कार्यान्वयन की समीक्षा

नीति के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुसज्जित, सक्षम और प्रेरित वानिकी संगठन के माध्यम से संभव है। इसके लिए उचित प्रशासनिक और वित्तीय सशक्तिकरण, अनुकूल

परिस्थितियों के प्रावधान और उपयुक्त बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।इस नीति के निर्देशों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगेः

7.1. नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों और वन्यजीवों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों और विधानों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास किया जाएगा। जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त विधान अधिनियमित या संशोधित किए जा सकते हैं।

7.2. नीतिगत उद्देश्यों की उपलब्धि काफी हद तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए अनुमोदित कार्य योजनाओं, प्रबंधन योजनाओं और नीति में परिकल्पित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन के समय पर आवंटन के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

7.3 नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रगति की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन और मूल्यांकन) सदस्य सचिव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में एक वन नीति कार्यान्वयन और समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।

7.4 राज्य वन सलाहकार परिषद (एसएफएसी)का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त, जनजातीय विकास, शहरी विकास, स्थानीय स्वशासन, खनन, पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग और जलदाय विभाग के प्रभारी सचिवों के साथ मिलकर विभाग को मार्गदर्शन और प्रभावी समन्वय प्रदान करेगी।

7.5 नीति निर्धारण को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा और परिणामों को मापने के लिए उपयुक्त संकेतक विकसित किए जाएंगे।

***

Disclaimer

*In the event of a conflict due to linguistic nuances and translation, the English version of the policy document shall be held as correct.

राजस्थान सरकार

वन विभाग

अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,

जयपुर, राजस्थान 302004